झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
आपराधिक विविध याचिका सं0 4678 वर्ष 2022

मंसूर अंसारी उर्फ मोहम्मद मंसूर अंसारी, उम्र लगभग 31 वर्ष पुत्र बरकत अंसारी उर्फ बकरीद मियाँ, निवासी गांव सिमरा बोझ डाकखाना तथा थाना-करमतन, जिला-जामताड़ा

..... याचिकाकर्ता

बनाम

झारखण्ड राज्य ..... उत्तरदाता

याचिकाकर्ता के लिए : श्री प्राण प्रणय, अधिवक्ता
राज्य के लिए : श्री शैलेष कुमार सिन्हा, अपर लोक अभियोजक

<u>निर्णय</u>

मा0 श्री न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा :- दोनों पक्षकारों को सुना।

2. यद्यपि इस आपराधिक विविध याचिका को साइबर अपराध मामला सं0 50 वर्ष 2021 के संबंध में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, देवघर द्वारा पारित सशर्त आदेश दिनांक 10.11.2022 के कुछ भाग का अभिखंडन करने के अनुरोध के साथ धारा 482 द0प्र0सं0 के अधीन इस न्यायालय के अधिकारिता का अवलंब लेते हुए दाखिल किया गया है जिसके द्वारा विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश-।।, देवघर के इस शर्त पर मोटर कार छोड़े जाने का निदेश दिया था कि याचिकाकर्ता रू0 1,00,000 के धनराशि के एक स्वतंत्र प्रतिभू के साथ रू0 1,00,000/- के धनराशि की बैंक गारंटी दाखिल करेगा तथा आगे रू0 4,00,000/- के धनराशि का क्षतिपूर्ति बंधपत्र दाखिल करेगा लेकिन याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याचिकाकर्ता सभी अन्य अनुरोधों का परित्याग करता है तथा अपना अनुरोध केवल इस आदेश को प्राप्त करने की तिथि से छः सप्ताह के आगे के अवधि के लिए साइबर अपराध मामला सं0 50 वर्ष 2021 के संबंध में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश-।।, देवघर के आदेश दिनांक 10.11.2022 द्वारा अधिरोपित समय के विस्तार तक है।

3. आदेश दिनांक 10.11.2022 द्वारा, विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश- II, देवघर ने इस शर्त के साथ उक्त अभिग्रहीत वाहन के छोड़ने हेतु याचिकाकर्ता के अनुरोध को अनुज्ञात किया था कि अन्य बातों के साथ याचिकाकर्ता का इसके लिए बैंक गारंटी देनी है।

4. उक्त तथ्यों पर विचार करते हुए कि याचिकाकर्ता ने इस आपराधिक विविध याचिका को दाखिल किया था तथा इसके लंबित रहने के दौरान इसमें पर्याप्त समय लगा था, साइबर

अपराध मामला सं0 50 वर्ष 2021 के संबंध में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश- II, देवघर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.11.2022 को इस समयावधि तक विस्तारित करते हुए उपांतरित किया जाता है जिसके दौरान उक्त आदेश में बताई गई शर्त को इस आदेश को प्राप्त करने की तिथि से छः सप्ताह तक पूरा किया जाना चाहिए।

5. साइबर अपराध मामला सं0 50 वर्ष 2021 के संबंध में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश-II, देवघर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.11.2022 को मात्र पूर्वोक्त विस्तार तक उपांतरित किया जाता है।

6. तद्नुसार इस आपराधिक विविध याचिका को निपटाया जाता है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्यायमूर्ति)

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
दिनांक 5 दिसम्बर, 2023
स्मिता/एएफआर

यह अनुवाद (शिवाकान्त तिवारी) पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।